भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2160

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष सुरक्षा पोर्टल पर शिकायतें

2160. श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मौजूदा विनियामक ढाँचे के बावजूद आयुष सुरक्षा पोर्टल पर भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों सहित 10,000 से अधिक शिकायतें दर्ज होने के कारणों का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह आयुष उत्पादों के विनिर्माताओं, विज्ञापनदाताओं और चिकित्सकों द्वारा निगरानी, प्रवर्तन और अनुपालन में कमियों को दर्शाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ता सुरक्षा के हित में निगरानी को मजबूत करने, उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने और भ्रामक दावों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सक्षम "आयुष सुरक्षा" नामक एक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य आयुष औषधियों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में वास्तविक समय में सूचना देना, निगरानी तथा नियामकीय पर्यवेक्षण को सुगम एवं प्रभावी बनाना है। इस पोर्टल को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आयुष लाइसेंसिंग प्राधिकारियों तथा केंद्र सरकार के निकायों यथा-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमओआई एंड बी), केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए), भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम), राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच), भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई) तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह पोर्टल उपभोक्ताओं एवं आयुष स्वास्थ्य-सेवा पेशेवरों को भ्रामक विज्ञापनों (एमएलए)/आक्षेपणीय विज्ञापनों (ओए) तथा औषधियों से होने वाली प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं (एडीआर) के संबंध में रिपोर्ट करने तथा नियामक प्राधिकारियों को उनकी निगरानी करने की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल पर प्राप्त सभी शिकायतों की समीक्षा राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी) तथा आयुष मंत्रालय द्वारा की जा सकती है, जिससे नियामक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। पोर्टल के माध्यम से शिकायतों की सूचना प्राप्त होना मुख्यतः सुदृढ़ डिजिटल निगरानी एवं प्रतिवेदन प्रणाली का परिणाम है, जिसके परिणामस्वरूप आमजन और भेषजसतर्कता नेटवर्क दोनों के द्वारा शिकायतों की सूचना की सुलभता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। शिकायतों की प्राप्ति भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में बढ़ी हुई सतर्कता, सूचना व्यवस्था में सुधार तथा निगरानी व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण को दर्शाती है।

(ग): भ्रामक विज्ञापनों तथा दवाओं के संबंध में किए जाने वाले अतिशयोक्तिपूर्ण दावों के नियंत्रण एवं निषेध हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिसूचित अधिकारियों को, औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें कथित भ्रामक अथवा अनुचित विज्ञापनों से संबंधित किसी भी परिसर में प्रवेश करने, तलाशी लेने तथा अभिलेखों की जाँच करने अथवा जब्ती करने तथा चूक के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने, उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा भ्रामक दावों की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

i. आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) नामक केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में अन्य बातों के साथ "एएसयू और एच दवाओं के लिए भेषजसतर्कता कार्यक्रम" नामक एक घटक भी शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी करना, समय पर उनकी पहचान करना तथा उचित कार्रवाई हेतु संबंधित नियामक प्राधिकारियों को प्रतिवेदन प्रेषित करना है। यह कार्यक्रम देशभर में स्थापित एक राष्ट्रीय भेषज सतर्कता केंद्र (एनपीवीसीसी), 05 मध्यवर्ती भेषज सतर्कता केंद्र (आईपीवीसी) तथा 97 परिधीय भेषज सतर्कता केंद्र (पीपीवीसी) के त्रि-स्तरीय तंत्र के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
ii. आयुष दवाओं एवं उनके आपत्तिजनक विज्ञापनों के संबंध में जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भेषजसतर्कता कार्यक्रम के तहत कुल 4,165 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिससे 3,71,477 प्रतिभागियों को लाभ हुआ है।
iii. इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के समन्वयक को नोडल अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य यह है कि औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 तथा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 के संबंध में ऐसे मध्यस्थों को नोटिस जारी किया जा सके, जिनके द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में स्थित या उससे संबद्ध किसी सूचना, डेटा अथवा संचार लिंक का उपयोग किसी अवैध कृत्य के निष्पादन हेतु किया जा रहा हो।
iv. 'आयुष सुरक्षा' पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों की व्यवस्थित रूप से जाँच की जाती है तथा संबंधित नियामक प्राधिकरणों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के अनुसार समुचित कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया जाता है
v. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा दिनांक 14.07.2022 को एक परामर्श जारी किया गया है, जिसमें औषधि नियम, 1945 की अनुसूची ङ (1) में सूचीबद्ध सामग्री से युक्त आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बिक्री के संबंध में आयुष पंजीकृत चिकित्सकों के वैध नुस्खे के साथ बिक्री किए जाने का उल्लेख किया गया है।
vi. होम्योपैथी के संबंध में असत्य, भ्रामक या अप्रमाणित सूचनाओं के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अंतर्गत होम्योपैथी नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड (बीईआरएच) द्वारा परिपत्र एवं परामर्श जारी किए गए हैं।
